

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-22/2015-224(आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016
प्रेषक,

Mail/Fax

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी नालंदा/ शिवहर।

विषय :

वर्ष 2015-16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रु० के अधीन रब्बी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रु० की अनुमति तथा इसके अधीन समान्य जाति के लिए 95.45 करोड़ की स्वीकृति के अतिरिक्त खरीफ 2015 के अवशेष तथा प्रत्यर्पित राशि में से 3,00,96,762 रुपये (तीन करोड़ छियानवे हजार सात सौ बासठ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹3,00,96,762 रुपये (तीन करोड़ छियानवे हजार सात सौ बासठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1108 दिनांक-29.02.2016 के द्वारा वर्ष 2015-16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रु० के अधीन रब्बी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रु० की अनुमति तथा इसके अधीन समान्य जाति के लिए 95.45 करोड़ की स्वीकृति के अतिरिक्त खरीफ 2015 के अवशेष तथा प्रत्यर्पित राशि में से 3,00,96,762 रुपये (तीन करोड़ छियानवे हजार सात सौ बासठ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹3,00,96,762 रुपये (तीन करोड़ छियानवे हजार सात सौ बासठ रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्रम सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	प्रस्तावित राशि	अवशेष राशि
1	नालंदा	23184762	23184762	0
2	शिवहर	6912000	6912000	0
	कुल-	30096762	30096762	0
	कुल- (तीन करोड़ छियानवे हजार सात सौ बासठ रुपये) मात्र।			

2. उपरोक्त कुल कुल ₹3,00,96,762 रुपये (तीन करोड़ छियानवे हजार सात सौ बासठ रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 83, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

224-(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक

224-(आवंटन)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निर्वाहक उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्प) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय सं निदेशक (शष्प)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, (शष्प) बीज कृषि विभाग, बिहार, पटना/नाडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक

224-(आवंटन)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016

प्रतिलिपि : उप निदेशक, (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।